बहस अंतरिम प्रार्थना पत्र दि० 27/6/2018 को पेश हो।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

27/6/2018 अप्रार्थी के अधिवक्ता उपरान्त बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं०1 द्वारा अप्रार्थी सं०2 द्वारा जारी पट्टे की आड़ में हमारी खातेदारी व रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। रिपोर्ट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी सं०1 व 3 के द्वारा निवेदन किया कि पंचायत के द्वारा विधिवत पट्टा दिया है उसी पर हमारा कब्जा होकर मौके पर विधिवत निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दि० 18/6/2018 से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा व जमाबन्दी ग्राम भदालीखेड़ा की आ०नं० 646 रकबा 0.2403 है० किस्म गैमु० रास्ता है जिसमें से उक्त रास्ते की भूमि तथा प्रार्थी की ग्राम भदालीखेड़ा की आ०नं० 641/1, 641/2, 641/3 खातेदारी भूमि में से 2½ गज भूमि ग्रा०पं० आरजिया द्वारा अप्रार्थी सं०1 के नाम जारी पट्टे में सम्मिलित होना पाया जाता है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं०1 को पट्टे की भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 6/6/2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के क्रम में मूल निगरानी के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा की आ०नं० 641/1, 641/2, 641/3 व आ०नं० 646 की मौके की यथास्थिति कायम रखें। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर रिकार्ड से कायम हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा